संख्या–1107/पॉच–5/2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांक 16 मई, 2020

विषय–कोविड–19 हेतु होम–क्वॉरेन्टाइन के लिए सामान्य दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण को सोशल डिस्टेन्सिंग, हाथों की स्वच्छता एवं संदिग्ध रोगियों के होम क्वॉरेन्टाइन जैसे महत्वपूर्ण उपायों के द्वारा काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड–19 के रोगियों के प्रबन्धन के लिए विभिन्न स्तरों की चिकित्सा ईकाइयॉ नामित की गई हैं जहॉ पर इन रोगियों का समुचित प्रबन्धन किया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त, कोविड–19 के संदिग्ध/पुष्ट रोगियों के ऐसे सम्पर्कों (contacts), जो इस आदेश की शर्तों को पूर्ण करने में सक्षम हों, को होम–क्वारेन्टीन करने का निर्णय लिया गया है। सम्पर्क (contact) एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है जो एक कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति के साथ में या दूषित वातारण में रहा हो जिससे उस व्यक्ति में कोविड–19 रोग विकसित होने का खतरा बढ़ गया हो। जो व्यक्ति/सम्पर्क शर्तों को पूर्ण न कर सकते हों, उन्हें अनिवार्य रूप से फैसिलिटी क्वॉरेन्टाइन में ही रखा जाएगा। कोविड–19 के सम्पर्क (contact) निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं–

1. कोविड–19 के संक्रमित रोगी के साथ एक ही घर में रहने वाला व्यक्ति।
2. बिना किसी अनुशंसित पी0पी0ई0 का प्रयोग किए अथवा पी0पी0ई0 का ठीक से प्रयोग किए बिना कोविड–19 के संक्रमित रोगी के सीधे शारीरिक/शारीरिक–स्राव के सम्पर्क में आने वाला व्यक्ति।
3. कोविड–19 से संक्रमित रोगी के नजदीकी सम्पर्क (आमने–सामने, 1 मीटर से कम दूरी) में आने वाला व्यक्ति। इसके अन्तर्गत सरकारी चिकित्सक/निजी चिकित्सक/सरकारी एवं निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल स्टाफ विशेष रूप से स्टाफ नर्स, लैब–टैक्नीशियन, वार्ड ब्वाय आ सकते हैं।

निम्नलिखित परिस्थितियों/सुविधाओं की उपलब्धता/शर्तों का अनुपालन करने पर 14 दिन के होम–क्वॉरेन्टाइन का विकल्प प्रदान किया जाएगा–

1. होम–क्वॉरेन्टाइन के लिए व्यक्ति के पास एक पृथक कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कमरा हवादार एवं सम्बद्ध शौचालय–युक्त (attached toilet) होना

चाहिए। घर के अन्य सदस्यों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए अर्थात उस घर में एक से अधिक शौचालय का होना अनिवार्य है।

2. होम–क्वॉरेन्टाइन में रखे जाने वाले व्यक्ति के आवास में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग (high risk group) वाले सदस्य नहीं होने चाहिए अथवा आवास का आकार एवं व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्य क्वॉरेन्टाइन किए गए व्यक्ति के सम्पर्क में न आ सकें।

3. आरोग्य सेतु मोबाइल–ऐप को डाउनलोड कर ऐप को सदैव सक्रिय रखने एवं अपने स्वास्थ्य की दैनिक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण–कक्ष को प्रतिदिन उपलब्ध कराने की लिखित सहमति प्रदान करने पर ही होम–क्वॉरेन्टाइन की अनुमति दी जाएगी।

4. होम–क्वॉरेन्टाइन होने की दशा में घर के बाहर समुचित स्थान पर फ्लायर लगाने की सहमति प्रदान करनी होगी।

2– होम–क्वॉरेन्टाइन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा–

होम–क्वारेन्टीन में रखे गए व्यक्तियों हेतु निर्देश–

1. हाथों को 30 सेकेण्ड तक बार–बार साबुन और पानी से धोना चाहिए अथवा एल्कोहल–आधारित सेनीटाइजर से साफ करना चाहिए।

2. हर समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए। इस मास्क को 8 घंटे के प्रयोग के बाद अथवा गीला या दिखने में गंदा लगने पर बदलना चाहिए। घर में कपड़े से निर्मित प्रयुक्त मास्क को गर्म पानी एवं घरेलू डिटरजेन्ट से साफ कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।

3. अपनी ऑख, नाक एवं मुँह को बार–बार अनावश्यक रूप से छूने से परहेज करना चाहिए।

4. सदैव श्वसन सम्बधी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए।

5. अपने आवागमन को अत्यन्त सीमित रखना चाहिए।

6. किसी भी परिस्थिति में सामाजिक/धार्मिक/शादी समारोहों/शोक–सभा आदि में भाग नहीं लेना चाहिए।

7. होम–क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए आगंतुकों को अनुमति नहीं देनी चाहिए।

8. होम–क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के निकट की दूषित वस्तुओं जैसे सिगरेट, बर्तनों, भोजन, पेय पदार्थ, तौलिया एवं बेड–शीट को साझा नहीं किया जाना चाहिए। अन्य कोई भी व्यक्तिगत वस्तु किसी अन्य से साझा नहीं करनी चाहिए।

9. व्यक्ति को उसके कमरे में ही भोजन दिया जाना चाहिए।

10. प्रयोग किए गए बर्तनों को साबुन/डिटरजेन्ट एवं गर्म पानी के द्वारा ग्लब्स पहन कर धोना चाहिए। धोने एवं अच्छी तरह से सुखाने के बाद बर्तनों का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। ग्लब्स को निकालने एवं पहनने से पूर्व एवं किसी भी सम्भावित संक्रमित वस्तु को छूने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए।

11. प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों, लिनेन, सतह को साफ करते समय त्रिस्तरीय मेडिकल मास्क/घर पर निर्मित मास्क एवं ग्लब्स पहनना चाहिए। ग्लब्स को निकालने एवं पहनने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए।

12. खांसी/बुखार/सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न होने की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष या टोल फ्री नम्बर **1800—180—5145** पर दिया जाना चाहिए।

होम क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के परिजनों हेतु निर्देश—

1. किसी एक ही परिजन को व्यक्ति के देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। देखरेख करने वाले ऐसे व्यक्ति को भी सदैव घर में निर्मित कपड़े का मास्क पहनना चाहिए।

2. परिवार के अन्य सदस्य कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखेंगे।

3. परिजनों द्वारा फर्श आदि तथा गंदे कपड़े साफ करते समय डिस्पोजेबल ग्लब्स का प्रयोग करना चाहिए। ग्लब्स निकालने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।

4. यदि होम—क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई आदि लक्षण प्रकट होते हैं तो देखरेख करने वाला परिजन इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष या टोल फ्री नम्बर **18001805145** पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ऐसी परिस्थिति में, उसके सभी नजदीकी सम्पर्कों को 14 दिनों तक होम—क्वारेन्टीन में रखा जाएगा एवं उसके अगले 14 दिनों तक फालो—अप किया जाएगा।

वातावरणीय स्वच्छता—

1. होम—क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के कमरे में बार—बार छूई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ एवं 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट विलयन से विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

2. शौचालय को प्रतिदिन घरेलू ब्लीच विलयन/फिनॉलिक विसंक्रामक से साफ एवं विसंक्रमित किया जाना चाहिए।

3. होम—क्वारेन्टीन में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए गए कपड़ों को पृथक रूप से घरेलू डिटरजेन्ट एवं गर्म पानी से साफ कर सुखाया जाना चाहिए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
15.5.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Pankaj/GO/COME-3

— 4 —

संख्या–1107 (1)/पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

15/05/2020

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

15/05/2020

15.05.2020

Pankaj/GO/COME-3